तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/8/2025	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल द्वारा निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 916 रकबा 260 बीघा भूमि के बाबत् न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 27.08.2012 को आदेश पारित करते हुए दिनांक 29.08.2012 को थानाधिकारी पुलिस थाना झंवर को लिखा गया था कि जब तक पक्षकारो के अधिकारो का या कब्जे के दावे का करने वाली सक्षम न्यायालय की डिक्री या आदेश प्राप्त न कर ली जावे या न कर लिया या इस न्यायालय के आगामी आदेश तक उसे कुर्क रखे रहे। इस संबंध मे सायल रामसिंह द्वारा वादग्रस्त भूमि एवं अन्य भूमियो के संबंध मे न्यायालय हाजा के समक्ष एक वाद बाबत् घोषणा, बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर रखा था जिस वाद को न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 07.01.2025 को गुणावगुण पर निर्णित करते हुए निरस्त किया जा चुका है एवं वादग्रस्त भूमियो मे वादीगण का 1/2 हिस्सा मानने से इंकार किया जा चुका है। पूर्व मे पुलिस थानाधिकारी झंवर द्वारा एक रिपोर्ट भी पत्रावली पर प्रस्तुत कर रखी है जिसमे मौके पर शांति व्यवस्था भंग होने का कोई अन्देशा होना नही पाने का लिखा गया है। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह सिद्ध है कि दिनांक 27.08.2012 को इस न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 916 रकबा 260 बीघा को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया था जिसके अनुसरण मे दिनांक 29.08.2012 को पुलिस थानाधिकारी झंवर को भूमि को कुर्क करने का पत्र प्रेषित किया गया। वादग्रस्त भूमि के बाबत् पूर्व से सायल व उसके पुत्रो द्वारा घोषणा का वाद हाजा न्यायालय में वाद संख्या 97/2009 गैर सायलान के विरूद्ध प्रस्तुत कर रखा था। वादीगण तनकी सं. 1 से 3 को अपने पक्ष में सिद्व करने में पूर्णतः असफल रहे है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा अतिरिक्त तनकी सं. 4 से 6 को अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अपने पक्ष में सिद्व किया है। जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वादीगण वादग्रस्त भूमियों में स्वंय का 1/2 हिस्सा घोषित करवाने एवं तदनुसार वादग्रस्त भूमियों का बंटवाडा करवाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। ऐसी स्थिति में वादीगण का यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया गया	

सहायक ... अधिकारी

है। जिस वाद को न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर दिनांक 07.01.2025 को निरस्त किया जा चुका है। इस कार्यालय के पत्रांक/कोर्ट/ 2025/28 दिनांक 10.02.2025 के द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना झंवर से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। थानाधिकारी पुलिस थाना झंवर के पत्र कमांक/351 दिनांक 13.02.2025 के द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि दौराने जांच प्रार्थी श्री सगतसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत उम्र 80 साल निवासी पेहलावास धवा थाना झंवर जिला जोधपुर व गवाहान श्री नरपतसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपुरोहित उम्र 60 साल निवासी सुथारों का बास धवा थाना झंवर जिला जोधपुर श्री जवानराम पुत्र भूराराम जाति भील उम्र 73 साल निवासी भीलों का बास धवा थाना झंवर जिला जोधपुर श्री विजय सिंह पुत्र चिमनसिंह जाति राजपुरोहित उम्र 67 साल निवासी सुथारो का बास धवा थाना झंवर जिला जोधपुर के बयान लिये जाकर बयान शामिल जांच किये गये। आदेश की प्रतिया पेश की जिनका अवलोकन कर शामिल जांच किया गया। मौके पर उक्त जमीन पर वर्तमान में कोई भी काबिज नही है। उक्त जमीन के संबंध में में हाजा न्यायालय द्वारा आदेश करने पर जमीन को थानाधिकारी पुलिस थाना झंवर की तहरीर में ली गई। जो आज दिन तक चली आ रहा है। अतः सम्पूर्ण जांच, बयाहान प्रार्थी व गवाहान तथा प्रार्थी द्वारा पेश वाद निपटारा आदेश की प्रतियां तथा मौका तस्दीक व गोपनीय तौर पर आस पडौसियान से पुछताछ से पाया गया कि उक्त जमीन के सम्बन्ध में वर्तमान में किसी तरह की शान्ति व्यवस्था भंग होने का अन्देशा नही पाया गया है। अतः उपरोक्त प्रकरण में कुर्क की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी